

102

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल

21124-11-17

ग्वालियर (म0प्र0)



दुष्यन्त कुमार सिंह एस

21/4/17

बलक ओ

राजस्व मण्डल

अम्बिका प्रसाद जायसवाल पिता सूर्यपाल जायसवाल निवासी ग्राम सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली (म0प्र0)

आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम्

शिव प्रसाद पिता कालू जायसवाल निवासी ग्राम सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी महोदय तहसील देवसर/सरई जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं :-

यह कि तहसीलदार महोदय के समक्ष निगरानीकर्ता के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार महोदय ने राजस्व निरीक्षक मण्डल सरई तहसील सरई से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया जिसमें राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 05.10.2015 को सीमावर्ती एवं हितबद्ध

3

दुष्यन्त कुमार सिंह

राजस्व मण्डल

गवालियर-3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 1124-दो/2017

जिला - सिंगरौली

अम्बिका प्रसाद जायसवाल

विरुद्ध

शिव प्रसाद जायसवाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री डी0एस0 चौहान अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील देवसर/सरई जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 09-3-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right">  (आर0क0 जैम) 10/2/2019 सदस्य </p>